






# फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

मुकदमा श्री कुलदीप विपक्षी श्री श्रीकरबाल  
 53 पत्रावली संख्या 28/22 सन \_\_\_\_\_

क्र.सं.	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>17/6/22                      पत्रावली दर्ज रजिस्टर हाकर पेश हुई।                      प्रति./विपक्षी/रेस्पो. को जरिये सम्मन/                      गोटिस तलब किंगे चम्बर पत्रावली बाद                      तलबी दिनांक 22/7/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                      सहायक कलक्टर एवं                      कार्यपालक मजिस्ट्रेट                      (फास्ट ट्रैक) मावली</p>	
	<p>24/7/22                      पत्रावली पेश की                      ज्ञा. 28/7/22 को प्रतिवादी/प्रतिवादी उप.                      पेश कर पत्रावली र. प्रसूत माली उक्त                      बा. से प्रवेष्टि 0 मंजूर बा. विचारार्थ                      होने से पत्रावली दिनांक 9/9/22 की                      पेश की</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p>2 किं (लक्षिक) पुजापत</p>
	<p>9/9/22                      प्रतिकुलाय पादों/प्रतिवादी उप.                      के लिये मौका चाहते हैं। अतः                      भ्रवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 11/11/22                      को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                      SDO मावली</p>	
	<p>11/11/22                      प्रतिकुलाय पादों/प्रतिवादी उप./                      के लिये मौका चाहते हैं। अतः                      भ्रवसर दिया जाकर पत्रावली दि.                      को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                      SDO मावली</p>	

22/11/22

पत्रावली पेश हुई | अधिवक्ता उच्च  
पक्षकारान् उप. | अधिवक्ता उच्च पक्षकारान्  
को सुना गया | अज्ञान आराजीयता एवं समान  
पक्षकारान् वाष्ण एक अन्य वाद प्रकरण से  
48/22 शंकरलाल बनाम कुलवीप न्यायालय  
हाला के विचाराधीन है | अज: समान प्रकृति  
के होने प्रकरण होने से अलग-अलग चलाये  
जाने का कोई औचित्य नहीं है | अज: प्रकरण  
सं. 48/22 शंकरलाल बनाम कुलवीप को  
इस वाद के साथ कन्सोलिडेट करने के आदेश  
दिये जाते हैं | पत्रावली वास्ते अग्रणी कार्यवाही  
दिनांक 10/11/23 को पेश हो |

✓

25/11/22

Not Press

कुलवीप न्यायालय

दि  
अज

पत्रावली अधिवक्ता वादी द्वारा शीघ्र सुनवाई  
का प्र.पत्र पेश करने पर पेश हुई | अधिवक्ता  
वादी मय वादी उप. | अधिवक्ता परिवारी द्वारा शीघ्र  
सुनवाई के प्र.पत्र का जवाब मय दस्तावेज पेश  
किये, नकल दिलाई गई, शा. का रहे | अधिवक्ता  
वादी इमय वादी द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण में  
कोई कार्यवाही नहीं चाहकर प्रकरण में Not Press  
किया | अज: वादी प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं  
चाहने से अब इस प्रकरण को आगे चलाये जाने  
का कोई औचित्य नहीं है | अज: प्रकरण को उसी  
स्तर पर ड्रॉप किया जाता है | चूंकि इस प्रकरण  
के साथ प्रकरण सं. 48/22 वाद शंकरलाल बनाम  
कुलवीप संलग्न होने से आगे की कार्यवाही प्र.सं. 48/22  
वाद में जारी रहेगी | पत्रावली फैसल सुमार लेकर नम्बर  
से कम हो |



निर्णय शुभे न्यायालय अनुया गया |

सहायक कलक्टर एवं  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
(फास्ट ट्रेक) मायवली